न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 249 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गेमाराम पुत्र भोमाराम, उम्र 47 साल 2. पुराराम पुत्र भोमाराम, उम्र 45 साल 3. धापुदेवी पत्नी नारणाराम, उम्र 40 साल 4. प्रकाश पुत्र नारणाराम, उम्र 19 साल 5. कमला पुत्री नारणाराम, उम्र–17 साल 6. जसी पुत्री नारणाराम, उम्र–15 साल 7. देउ पुत्री नारणाराम, उम्र–13 साल, यादी संख्या 5 से 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलियमाता धापुदेवी, जातियान–मेगवाल, निवासी–भाटाला, तहसील–सिणधरी.		1. लिखमणाराम पुत्र गोरधनराम 2. खेमाराम पुत्र गोरधनराम 3. मोटाराम पुत्र गोरधनराम 4. तेजाराम पुत्र गोरधनराम 5. भूराराम पुत्र गोरधनराम 6. नानगाराम पुत्र गोरधनराम 7. केसाराम पुत्र भोमाराम 8. दलाराम पुत्र भोमाराम 9. जेठाराम पुत्र मूलाराम 10. चेतनराम पुत्र मूलाराम 11. मांगीलाल पुत्र मूलाराम 12. चम्पा पत्नी मालाराम 13. तुलछाराम पुत्र चैनाराम, जातियान–मेगवाल, निवासी–भाटाला,तहसील–सिणधरी. 14. तहसीलदार–सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 30.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने [illegible] विप्रार्थीगण संख्या 1 ला 16 के पुर्वज के समय से संयुक्त [illegible] संख्या 77, 78 रकबा क्रमशः 0.1294, 29.7712 हैक्टेयर, कुल रकबा 29.9006 हैक्टेयर का आया हुआ है, ग्राम–भाटाला की भुमि मे प्रार्थी संख्या 1 का 8 / 225 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 8 / 225 हिस्सा और प्रार्थी संख्या 3 से तक 7 का संयुक्त रुप से 8 / 225 हिस्सा है। और विप्रार्थीगण का अपने वंशावली के अनुसार हिस्सा जो जमाबंदी में दर्ज है और उसी तरह से अपने हिस्से के अनुसार मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत उनके पूर्वजो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

का होने से उनके खातों में संयुक्त हिस्सा दर्ज है लेकिन वर्तमान में खातेदार अधिक है और वर्तमान समय मे काश्त की भूमि के मुल्यों की असाधारण वृद्वि होने से पक्षकारान मे आपस मे काश्त को लेकर हमेशा झगडा रहता है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का समुचित सुधार नहीकर पा रहा है। और विप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के घर पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और खेती नही करने दे रहे है। इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार अपनी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप करने से प्रार्थीगण के द्वारा बंटवाड़ा कराने के साथ विप्रार्थीगण सयुक्त खातेंदार की भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान करने पर उतारु है और रोड के नजदीक व अच्छी किस्म की भूमि पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहें है। विप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर काश्त कर लेते है और वर्तमान मे बिना किसी प्रकार का बंटवाड़ा कराये विप्रार्थीगण के द्वारा अवैध रुप से बाड बना रहे है और प्रार्थी के खेत में से हरे वृक्ष खेजड़ी, बोरड़ी, कैर व अन्य बड़े वृक्षो को काट कर बाड बना रहा है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है। प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीण क्षति उक्त तीनो बातें प्रार्थी के पक्ष में है। स्टे नही मिलने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संम्भव नही है। और प्रार्थी के वाद लाने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध खसरा संख्या 77, 78 रकबा क्रमश :–0.1294, 29.7712 हैक्टेयर, कुल रकबा 29.9006 हैक्टेयर, मौजा भाटाला, तहसील सिणधरी में रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने, नया निर्माण नही करने और किसी प्रकार का बेचान नही करने का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायें।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 13 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 ला 16 के पुर्वज के समय से संयुक्त खातेदारी का ग्राम भाटाला के खेत खसरा संख्या 77, 78 रकबा क्रमशः 0.1294, 29.7712 हैक्टेयर, कुल रकबा 29.9006 हेक्टेयर का आया हुआ है, ग्राम भाटाला की भुमि मे प्रार्थी संख्या 1 का 8/225 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 8/225 हिस्सा और प्रार्थी संख्या 3 से तक 7 का संयुक्त रुप से 8/225 हिस्सा है। और विप्रार्थीगण का अपने वंशावली के अनुसार हिस्सा जो जमाबंदी में दर्ज है और उसी तरह से अपने हिस्से के अनुसार मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत उनके पूर्वजो का होने से उनके खातों में संयुक्त हिस्सा दर्ज है लेकिन वर्तमान में खातेदार अधिक है और वर्तमान समय मे काश्त की भूमि के मुल्यों की असाधारण वृद्वि होने से पक्षकारान मे आपस मे काश्त को लेकर हमेशा झगड़ा रहता है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का समुचित सुधार नहीकर पा रहा है। और विप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के घर पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और खेती नही करने दे रहे है। इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार अपनी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप करने से प्रार्थीगण के द्वारा बंटवाड़ा कराने के साथ विप्रार्थीगण सयुक्त खातेंदार की भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान करने पर उतारु है और रोड़ के नजदीक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... सिणधरी

अच्छी किस्म की भूमि पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। विप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर काश्त कर लेते है और वर्तमान मे बिना किसी प्रकार का बंटवाडा कराये विप्रार्थीगण के द्वारा अवैध रुप से बाड बना रहे है और प्रार्थी के खेत में से हरे वृक्ष खेजडी, बोरडी, कैर व अन्य बड़े वृक्षो को काट कर बाड बना रहा है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जहां तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में लेकिन विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन में प्रार्थी वकील द्वारा प्रकट तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्वष्यता प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार प्रतीत है। अतःप्रथम द्वष्यता प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम भाटाला के खेत खसरा संख्या 77, 78 रकबा क्रमशः 0.1294, 29.7712 हैक्टेयर, कुल रकबा 29.9006 हेक्टेयर भूमी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested